Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में रिश्वत लेते पकड़े गये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के दूसरे बैंक लॉकर तलाशी में मिली 20 लाख 91 हजार रुपये की नगदी**
- **आरोपी से पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना**

जयपुर, *14 जुलाई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा कल चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आज आरोपी अधिशासी अभियंता के एच.डी.एफ.सी. बैंक स्थित एक लॉकर की तलाशी में **20 लाख 91 हजार रुपये नगद** मिले हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई द्वारा दिनांक 12–7–2023 को चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही करते हुये **राजेन्द्र प्रसाद लखारा** अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात से आरोपी के आवास एवं ठिकानों की तलाशी का काम जारी था।

आज एसीबी उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के नेतृत्व में एसीबी टीम द्वारा आरोपी अधिशासी अभियंता के एच.डी.एफ.सी. बैंक के लॉकर की तलाशी ली गई। बैंक लॉकर की तलाशी में **20 लाख 91 हजार रुपये नगद** मिले हैं। इस प्रकार अब तक आरोपी अधिशासी अभियंता के कब्जे से **89 लाख 67 हजार रुपये** की नगदी बरामद की जा चुकी है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। **जिसमें और भी सम्पत्तियों के बारे में खुलासा होने की संभावना है।** एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।